

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली - 110067

संचिका सं.CICOM/R/2017/80056

दिनांक 03.01.2018

सेवा में,

श्री आदर्श मिश्रा,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने दिनांक 28.12.2017 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया है से संबंधित सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (एम.आर.), केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. - एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।
बिंदु सं. 2	इस हेतु अधिवक्ता/आर.टी.आई. विशेषज्ञ को केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है ।
बिंदु सं. 3	वांछित सूचना हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि आयोग की वेबसाइट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf एवं सूचना अधिकार नियम, 2012 जो कि आयोग की वेबसाइट लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/RTI/RTIRules2012.pdf पर उपलब्ध है का अवलोकन कर सकते हैं । इस संदर्भ में अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।
बिंदु सं. 4	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (विधि), केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. - एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 पर की जा सकती है ।

अशोक कुमार

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल

1	श्री जीवन चन्द्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (एम.आर.), के. सू. आ.	बिंदु सं. 1	उक्त आवेदन दिनांक 03.01.2018 को आर.टी.आई.- एम.आई.एस. के द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित किया जा चुका है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।
2	श्री किशोर कुमार पुखराल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (विधि), के. सू. आ.	बिंदु सं. 4	